

12/8/25

पत्रावली पेश हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता अनुपस्थित।  
न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक पृथक समय में तीन  
बार वादी मय अधिवक्ता को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन  
वादीगण अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण वादी का  
वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
तहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतश